

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

तृतीय तल, ब्लॉक-4, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

-: कार्यालयीन आदेश :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27-03-2026

File No.: LAW-42016/53/2026-PHED (SECTION):- शासन के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 24.05.2024 एवं क्रमांक एफ 3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 08.08.2024 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण दिये जाने के संबंध में पारित आदेशों पर "वित्त विभाग द्वारा "न्यायालयीन आदेश प्राप्त प्रकरणों में, माननीय न्यायालय के आदेशों का परिपालन किये जाने का परामर्श दिया जाता है।" का सुझाव दिया गया है", के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार एतद् द्वारा शासन के निर्देश के परिपालन में कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा तालिका के कॉलम क्र. 3 में दर्शित माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की गई याचिकाओं पर कॉलम क्र. 4 में दर्शित माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार कॉलम क्र. 2 में दर्शित वादियों को सक्षम स्तर से उनकी कार्यभारित कर्मचारी होने की पुष्टि उपरान्त नियमानुसार देय अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करने आदेशित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वादी का नाम	याचिका क्रमांक	पारित आदेश दिनांक
1	2	3	4
945	Kunti Bai Sahu	W.P.(S) No. 14210/2025 KUNTI BAI SAHU VS STATE OF CG & OTHERS.	07.01.2026
946	Janki Manikpuri	W.P.(S) No. 1130 / 2026 BANSHILAL DESHLAHRE & 04 OTHERS VS STATE OF CG & OTHERS.	29.01.2026
947	Smt. Sahodra Devi Dewangan	P.(S) No. 1274 / 2026 SMT. SAHODRA DEVI DEWANGAN & 04 OTHERS VS STATE OF CG & OTHERS.	03.02.2026
948	Brijlal	W.P.(S) No. 1274 / 2026 SMT. SAHODRA DEVI DEWANGAN & 04 OTHERS VS STATE OF CG & OTHERS.	03.02.2026
949	Deosharan Chandrakar	W.P.(S) No. 1315 / 2026 DEOSHARAN CHANDRAKAR VS STATE OF CG & OTHERS.	04.02.2026
950	Parveen Khan	W.P.(S) No. 1676 / 2026 PARVEEN KHAN VS STATE OF CG & OTHERS.	12.02.2026
951	Jageshwar Ram Yadav	W.P.(S) No. 1754 / 2026 JAGESHWAR RAM YADAV & 01 OTHERS VS STATE OF CG & OTHERS.	16.02.2026
952	Ramkumar Satnami	W.P.(S) No. 1754 / 2026 JAGESHWAR RAM YADAV & 01 OTHERS VS STATE OF CG & OTHERS.	16.02.2026
953	Jagguram Sahu	W.P.(S) No. 1781 / 2026 JAGGURAM SAHU VS STATE OF CG & OTHERS.	16.02.2026



954	Smt. Hiramani Bhagat	W.P.(S) No. 2062/ 2026 SMT. HIRAMANI BHAGAT VS STATE OF CG & OTHERS.	27.02.2026
955	Smt. Sukal Kashyap	W.P.(S) No. 2483/ 2026 SMT. SUKAL KASHYAP VS STATE OF CG & OTHERS.	16.03.2026

उपरोक्त अवकाश नगदीकरण, मद क्रमांक 06-2071-01-115-0000-5438-12-003-V में विकलनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
Onkesh Chandrawanshi
Date: 27-03-2026
14:12:37

(ऑंकेश चन्द्रवंशी)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ. क्र. I/360571/2026/LAW-42016/53/2026 नवा रायपुर, दिनांक 27-03-2026

प्रतिलिपि:-

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि, कृपया माननीय उपमुख्यमंत्री जी, छ.ग., शासन, को अवगत कराना चाहेंगे।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर शासन के पत्र क्र. एफ-3-17/2024/34-1/नवा रायपुर दिनांक 24.05.2024 एवं 08.08.2024 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में की गई कार्यवाही से कृपया अवगत होना चाहेंगे।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), छत्तीसगढ़, जीरो पाईट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अधीक्षण अभियंता एवं नोडल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल बिलासपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि, संबंधित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर को अवगत कराते हुए याचिकाओं से संबंधित फाइलों में भुगतान हेतु की गई आदेश की प्रति नियमानुसार संलग्न कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल/(वि./यां) मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि, शासन के निर्देशानुसार उक्त प्रकरणों पर भुगतान तत्काल सुनिश्चित करावें एवं पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/ (वि./यां) खण्ड/ परि. खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार संबंधित के कार्यभारित कर्मचारी होने की पुष्टि उपरान्त, शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरणों पर अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

8. कार्यपालन अभियंता, (एम.आई.एस.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट के सूचना पलक में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

9. कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय, की ओर माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. सर्वसंबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमति/..... की ओर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में उनके द्वारा दायर की गई याचिका के निराकरण के संबंध में लेख है कि आपके अवकाश नगदीकरण का भुगतान, संबंधित खण्ड कार्यालय द्वारा किया जावेगा। अवगत होवें। तालिम हेतु - संबंधित कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड/ (वि./यां) खण्ड/ परि. खण्ड.....।

11. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

Digitally signed by
Ramkumar Dewangan
Date: 27-03-2026

14:16:11

अधीक्षक अभियंता (प्रशासन)

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर